(10)

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफवी. 1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/109 दिनांकः 21/8/12

परिपत्र

विभिन्न पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि एक ही पशुपालक द्वारा यदि कैंप/आऊटडोर में एक कैटल हैड (1 गाय, 1 भैंस, 10 भेड, 10 बकरी, 5 शूकर, 1 श्वान, 100 मुर्गी) से अधिक पशु लाए जा रहे हैं तो योजना की मार्गदर्शिका अनुसार प्रत्येक कैटल हैड हेतु एक दवा पर्ची काटी जा रही है।

इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि एक ही पशुपालक द्वारा एक से अधिक पशु (कैटल हैड) लाने की स्थिति में केवल एक ही दवा पर्ची जारी की जावे। लेकिन दवा पर्ची निर्धारित शुल्क 2/- रू. प्रति कैटल हैड की दर से ही लिया जावे तथा इस शुल्क को जारी की जा रही दवा पर्ची में भी दर्शाया जावे। उदाहरणार्थ यदि एक ही पशुपालक 20 गायों अथवा 300 भेडों को ईलाज हेतु अस्पताल में लाता है तो 20 गायों की 20 पर्चियां अथवा 300 भेडों की 30 पर्चियां (10 भेडों पर एक) जारी करने के स्थान पर केवल एक पर्ची जारी की जावे तथा उसी एक पर्ची में 20 गायें अथवा 300 भेडें अंकित करते हुए दवा पर्ची के ऊपर ही रू. 2X20=40 अथवा 2X30=60 अंकित करते हुये 20 गायों के लिए 40/- रू. तथा 300 भेडों के लिए 60/- रू. पशुपालक से लिये जावें।

उक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जावे।

निदेशक

क्रमांकःएफवी. 1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/110-153 दिनांकः 21-8-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक (दवा प्रकोष्ठ), निदेशालय
3. समस्त संयुक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. समस्त जिला उप निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।

निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांकःएफ.वी. 1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/154 दिनांकः 21-8-2012

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा वितरण योजनान्तर्गत निम्नानुसार व्यवस्थाऐं संपादित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है :-

1. विभागीय फार्म प्रभारी की मांग पर सम्बन्धित जिले के सहायक निदेशक पशुधन विकास (जिला पशु औषधि भंडार प्रभारी) द्वारा फार्म पर संधारित पशुओं हेतु निशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। गैर अनुमोदित औषधियों की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित जिले के उप निदेशक को औषधि कय हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि में से औषधिक्रय नियमानुसार की जा सकेगी।
2. फार्म पर संधारित पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जावे एवं किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

Sd/-
निदेशक

क्रमांकःएफ.वी. 1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/155-255 दिनांकः 21-8-2012

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक क्षेत्र/समस्त उप निदेशक।
2. उप निदेशक फार्म ।
3. समस्त सहायक निदेशक पशुधन विकास ।
4. समस्त सहायक निदेशक, बछड़ापालन केन्द्र/भेड़ प्रजनन फार्म/बकरी फार्म/शूकर फार्म/कुक्कुट फार्म

21/8/12
निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकःएफवी. 1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/ दिनांकः

परिपत्र

पशुओं के लिए दिनांक 15.08.2012 से संचालित निःशुल्क दवा योजना के क्रम में जारी राज्यादेश क्रमांक एफ.वी. 12(73–सी)/एपीडी/निशु.औ./2012–13/2622 दिनांक 30.07.2012 में आंशिक संशोधन कर निर्देशित किया जाता है कि योजना को "मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा वितरण योजना" के स्थान पर "मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना" पढ़ा जावे। भविष्य में योजना के संबंध में पत्राचार आदि योजना के नवीन नाम से सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकःएफवी. 1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/525-701 दिनांकः 31/8/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक (दवा प्रकोष्ठ), निदेशालय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. समस्त जिला उप निदेशक एवं सहायक निदेशक पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उनके अधीनस्थ संस्थाओं को भी उपरोक्तानुसार सूचित करावे।

उप शासन सचिव 31/8/12

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः एफ.वी.1(1)गुपनिदयो/आदेश/2012/904 दिनांकः 27-9-12

: : आदेश : :

मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत प्रति कैटल हैड पंजीकरण शुल्क के रूप में रू. 2 प्रति पर्ची लिये जाने के निर्देश आदेश क्रमांक एफ.वी.12(73–सी)/एपीडी/निशु.औ./2012-13/2622 दिनांक 30.07.2012 द्वारा जारी किये गये थे।

उपरोक्त आदेशों की निरंतरता में निर्देशित किया जाता है कि इन्डोर वार्ड में पशु को भर्ती करते समय लिया जाने वाला पंजीकरण शुल्क पशु को वार्ड से डिस्चार्ज करने तक मान्य होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा आउटडोर/इन्डोर में लाये जाने वाले पशुओं के लिये पंजीकरण शुल्क चार्ज नहीं किया जावे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः एफ.वी.1(1)मुपनिदयो/आदेश/2012/905-952 दिनांक 27-9-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (दवा प्रकोष्ठ), निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, राज0 को प्रेषित कर लेख है कि उनके अधीनस्थ संस्थाओं को भी उपरोक्तानुसार सूचित करावे।

शासन उप सचिव